

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

:: कल्पना चावला छात्रा इलैक्ट्रिक दोपहिया वाहन वितरण योजना ::

1. नाम एवं प्रभावित क्षेत्र

- (1) इस योजना का नाम **"कल्पना चावला छात्रा इलैक्ट्रिक दोपहिया वाहन वितरण योजना"** होगा।
- (2) यह नियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावित होंगे।
- (3) यह नियम वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन करने वाली अभियांत्रिकी व डिप्लोमा की छात्राओं के लिए मान्य होगा।

2. योजना का उद्देश्य

छात्राएं अपने घर से दूरी के कारण तकनीकी शिक्षा से वंचित ना रहे और राज्य के विकास में समुचित योगदान प्रदान करे इसी को ध्यान में रखते हुए एवं राज्य में तकनीकी शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु राज्य की अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग / EWS/सामान्य वर्ग की छात्राओं को राजस्थान/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / समकक्ष बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं / 10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर तकनीकी अथवा गैर-तकनीकी विषयों में प्रवेश लेने वाली अभियांत्रिकी तथा पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु इस योजना को प्रारंभ किया गया है, जिसमें 500 (पांच सौ मात्र) इलैक्ट्रिक दोपहिया वाहन वितरित की जावेगी।

3. योजना का अन्तर्गत देय लाभ

(I) योजना के अन्तर्गत पात्र संस्थान:-

राजस्थान स्थित राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों / राज्य के तकनीकी विश्वविद्यालयों के संघटक अभियांत्रिकी महाविद्यालयों / राज्य के तकनीकी विश्वविद्यालयों एवं राज्य के राजकीय पॉलिटेक्निक / महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में स्नातक / डिप्लोमा के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो, उनको इलैक्ट्रिक दोपहिया वाहन स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जावेगी। स्नातक एवं डिप्लोमा के प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत छात्राओं को कमशः 12वीं एवं 10वीं परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत / सीजीपीए के अनुसार वरियता के आधार पर इलैक्ट्रिक दोपहिया वाहन वितरण स्वीकृत किया जाएगा।

(II) योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली कुल इलैक्ट्रिक दोपहिया वाहन वितरण अनुपात:-

1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के राजकीय विद्यालयों से उत्तीर्ण छात्राओं को 25 प्रतिशत इलैक्ट्रिक दोपहिया वाहन स्वीकृत की जावेगी।

Signature Not Verified

Digitally Signed by Harishankar

Designation : Joint Secretary

Date: 2024.09.27 17:46:27 IST

Reason: Approved

2. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय/निजी विद्यालयों से उत्तीर्ण छात्राओं के लिए सम्मिलित रूप से 25 प्रतिशत इलैक्ट्रिक दोपहिया वाहन स्वीकृत की जावेगी।
3. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय एवं निजी विद्यालय की छात्राओं का प्रतिशत 25 रखा गया है लेकिन विभाजन की व्यवहारिकता को देखते हुए प्रतिशत कम/अधिक किया जा सकेगा।
4. यह विदित रहे कि कोई भी लाभार्थी न्यायालय के माध्यम से इलैक्ट्रिक दोपहिया वाहन का दावा नहीं कर सकेगी।
5. उक्त योजना के तहत पात्र छात्राओं का चयन अभियांत्रिकी तथा डिप्लोमा में प्रवेश लेने वाली कक्षा 12 वीं / 10 वीं में उत्तीर्ण छात्राओं की संख्या के अनुपात में राजस्थान राज्य की वरीयता सूची के आधार पर किया जावेगा।
6. प्रत्येक तकनीकी शिक्षण संस्थान में मेरिट निर्धारण व दस्तावेज सत्यापन करने हेतु एक नोडल ऑफिसर बनाया जाना प्रस्तावित है।

(III) योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता:-

1. स्नातक स्तर के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12वीं में न्यूनतम 60 प्रतिशत तथा डिप्लोमा स्तर के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 10 वीं में न्यूनतम 45 प्रतिशत तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 10 वीं में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक से उत्तीर्ण हों।
2. वे छात्राएँ जो राजस्थान स्थित राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों / राज्य के तकनीकी विश्वविद्यालयों के संघटक अभियांत्रिकी महाविद्यालयों/राज्य के तकनीकी विश्वविद्यालयों एवं राज्य के राजकीय पॉलिटेक्निक/ महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में नियमित रूप से प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हो।
3. 12वीं कक्षा उत्तीर्ण से स्नातक एवं एवं 10वीं कक्षा उत्तीर्ण से डिप्लोमा के प्रवेश में शैक्षणिक अन्तराल (गैप) होने पर योजना का लाभ देय नहीं होगा।
4. किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्राएँ भी इस योजना में लाभान्वित होगी। किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता/छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली छात्राओं को इस योजना से वंचित नहीं किया जा सकेगा।
5. छात्रा राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।
6. जिन छात्राओं ने उक्त योजना लागू होने से पूर्व उनकी किसी भी कक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर राज्य सरकार की किसी भी योजना में इलैक्ट्रिक दोपहिया वाहन / पेट्रॉल स्कूटी का लाभ प्राप्त कर लिया है, वे छात्राएँ इस योजना में इलैक्ट्रिक दोपहिया वाहन / पेट्रॉल स्कूटी प्राप्त करने की पात्र नहीं होंगी।
7. इस योजना के तहत लाभार्थी छात्रा के माता-पिता की आय सीमा सालाना 8.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
8. डिप्लोमा तथा डिग्री लेवल पर लेटरल एंट्री में प्रवेश लेने वाली छात्राओं के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी।
9. लेटरल एंट्री में प्रवेश लेने वाली छात्राओं के वर्गानुसार डिप्लोमा और डिग्री कोर्स में प्रवेश लेने पर डिप्लोमा के अनुसार मेरिट निर्धारित की जायेगी।
10. लेटरल एंट्री डिग्री कोर्स में प्रवेश लेने पर डिप्लोमा के अनुसार मेरिट निर्धारित की जायेगी।

Signature Not Verified

Official Designation : Joint Secretary

Reason: Approved

2024-09-27 17:46:27

11. लेटरल एंट्री डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने पर कक्षा 12 वी के अनुसार मेरिट निर्धारित की जायेगी ।
12. विमुक्त घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु वर्ग की विशेष योग्यजन छात्राओं के लिये 02 स्कूटी आरक्षित रखी जायेगी। विशेष योग्यजन पात्र छात्राओं की अनुपलब्धता की स्थिति ये वर्ग की सामान्य छात्राओं को दी जा सकेगी।

4. अन्य बिन्दु:-

1. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पात्र छात्रा नहीं होने पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की छात्रा को लाभान्वित किया जा सकेगा।
2. निजी विद्यालयों में निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करने वाली छात्रा नहीं मिलने पर राजकीय विद्यालयों की छात्रा को इलैक्ट्रिक दोपहिया वाहन प्रदान की जा सकेंगी।
3. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय एवं निजी विद्यालयों की छात्राओं को दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या अधिकतम है।
4. यदि सामान्य वरीयता में कोई दिव्यांग छात्रा समायोजित हो जाती है तो उसको दिव्यांग छात्रा के लिए आरक्षित एक इलैक्ट्रिक दोपहिया वाहन के लिए लाभार्थी मान लिया जायेगा।
5. यदि निर्धारित पात्रता अनुसार वरीयता सूची में कोई दिव्यांग छात्रा वरीयता में नहीं आती है परन्तु योजना में निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक से अधिक प्राप्तांक है तो उनकी श्रेणी के लिये आरक्षित इलैक्ट्रिक दोपहिया वाहन की संख्या तक उनका चयन किया जायेगा।
6. दिव्यांग छात्राओं को इलैक्ट्रिक दोपहिया वाहन के स्थान पर मांग होने पर मोटराईज्ड ट्राई साईकिल दी जा सकेगी।
7. किसी भी श्रेणी में छात्राएं उपलब्ध नहीं होने पर उस श्रेणी की आरक्षित स्कूटी राज्य सरकार द्वारा उसी वर्ग की छात्राओं को पुनरावंटित की जा सकेगी।

5. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज

1. राजकीय अभियांत्रिकी/पॉलिटेक्निक महाविद्यालय /राज्य तकनीकी विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु फीस जमा रसीद की स्व-प्रमाणित प्रति।
2. 12वीं/10 वीं परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका की स्व-प्रमाणित प्रति ।
3. छात्रा के माता-पिता/पति/अभिभावक /संरक्षक का वार्षिक आयकर विवरणीका/ आय प्रमाण-पत्र छः माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। माता-पिता नहीं होने/पति नहीं होने / परित्यक्ता होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही अभिभावक / संरक्षक का आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।

6. आवेदन प्रक्रिया

राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों / राज्य के तकनीकी विश्वविद्यालयों के संस्था प्रधान/राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों/राज्य के तकनीकी विश्वविद्यालयों एवं राज्य के राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के संस्था प्रधान प्रथम वर्ष में अध्ययनरत नियमित छात्राओं को आरक्षित आवेदन पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की आवश्यक जाँच कर प्रत्येक छात्रा का आवेदन, कक्षा, संकाय, पता, प्राप्तांक प्रतिशत आदि अंकित करते हुए प्रमाणित एवं हस्ताक्षर कर छात्राओं के आवेदन, समस्त दस्तावेज एवं

Signature Not Verified

Digitally Signed by Har Shankar

Designation: Joint Secretary

Date: 2024.09.27 17:46:27 IST

Reason: Approved

सूची तकनीकी शिक्षा निदेशालय जोधपुर द्वारा जांच एवं सत्यापन पश्चात् तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर में निर्धारित तिथि तक भेजेगे।

7. आय प्रमाण पत्र के प्रयोजनार्थ

आय परीक्षण के प्रयोजन के लिए अविवाहित छात्रा के लिए माता-पिता/अभिभावक एवं स्वयं छात्रा तथा विवाहित छात्रा के लिए पति एवं स्वयं छात्रा, विधवा एवं परित्यक्ता छात्रा की स्थिति में संरक्षक/अभिभावक एवं स्वयं छात्रा की आय को निम्नांकित बिन्दु अनुरूप आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे—

- वेतन भोगी कर्मचारी आय का प्रमाण पत्र (फार्म नं. 16) नियोक्ता अधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करें। वेतन भोगी कर्मचारियों की वार्षिक आय से आशय वेतन एवं समस्त भत्तों से है। वेतन भोगी कार्मिकों में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/ कारपोरेशन, बैंक, एल.आई.सी. कम्पनी तथा फैक्ट्रीज में नियोजित कार्मिक सम्मिलित है।
- पेंशन भोगी कर्मचारी पेंशन आदेश की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें साथ ही पेंशन एवं मंहगाई भत्तों का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।
- अन्य स्त्रोतों से आय के मामलों में आयकर लगने वाले व्यक्ति को आयकर विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें गत वर्ष की वास्तविक आय दर्शायी जानी चाहिए।
- वेतन/पेंशन भोगी कर्मचारियों के अलावा सभी को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशानुसार निर्धारित प्रपत्र में आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8. नियमों का विनिर्णय

इन नियमों की व्याख्या अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा की जावेगी जिनका निर्णय अन्तिम होगा।

9. स्कूटियों का क्रय (Procurement)

आधुनिक तकनीकी विकास के दृष्टिगोचर, योजना में वितरित की जाने वाली इलैक्ट्रिक दोपहिया वाहन के विशिष्ट विवरण यथा इलैक्ट्रिक दोपहिया वाहन का ब्रान्ड, नाम्, सीसी का निर्धारण, इलैक्ट्रिक दोपहिया वाहन की अनुमानित लागत इत्यादि एवं तत्पश्चात् क्रय (Procurement) हेतु कार्यवाही RTPP Act 2012 एवं RTPP Rules 2013 के प्रावधानों के तहत उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर द्वारा की जावेगी।

नोट:-

- ऑनलाईन आवेदन पत्र में जांच उपरान्त पायी गई कमी की पूर्ति दी गई अवधि (अधिकतम 01 माह) में छात्रा द्वारा नहीं करने पर आवेदन निरस्त होगा। जिसका उत्तरदायित्व छात्रा/अभिभावक का होगा।
- आवंटित इलैक्ट्रिक दोपहिया वाहन को रजिस्ट्रेशन की दिनांक 2024-09-27 14:46:27 तक प्रेषित नहीं किया जा सकेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Har Shankar
Designation : Joint Secretary
Date: 2024.09.27 14:46:27
Reason: Approved

- इलैक्ट्रिक दोपहिया वाहन के साथ—साथ हेलमेट, पंजीकरण, एक वर्षीय बीमा दिया जाना भी प्रस्तावित है।
- डिप्लोमा व डिग्री हेतु प्रत्येक के लिए 250 इलैक्ट्रिक दोपहिया वाहन वितरित किया जाना प्रस्तावित है।
- स्कूटियों का वितरण श्रेणीवार निम्न तालिकानुसार रहेगा।

क्रमांक	आरक्षित श्रेणी	डिप्लोमा छात्राएं	अभियांत्रिकी छात्राएं
1	अनुसूचित वर्ग की छात्राओं हेतु स्कूटी	40	40
2	अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं हेतु स्कूटी	30	30
3	अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं हेतु स्कूटी	54	54
4	अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं हेतु स्कूटी	13	13
5	EWS की छात्राओं हेतु स्कूटी	25	25
6	सामान्य वर्ग की छात्राओं हेतु स्कूटी	88	88
-	कुल योग (500)	250	250

- तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा DOIT डिपार्टमेंट में ऑनलाइन लिंक बनाए जाने हेतु प्रस्ताव भिजवाया जाना है, जिससे छात्राएं एवं सम्बंधित महाविद्यालयों को आवेदन हेतु ऑनलाइन लिंक उपलब्ध हो सकेगा।
- तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा योजना को सुचारू संचालित करने हेतु राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही, दो कंप्यूटर ऑपरेटर भी नियुक्त किये जाने प्रस्तावित हैं।
- राज्य स्तर पर मेरिट निर्धारण और नोडल अधिकारी तथा कंप्यूटर ऑपरेटर के बैठने हेतु स्थान CEG, जयपुर होगा; जिनकी प्रभावी देखरेख निदेशक, DTE, जोधपुर द्वारा की जावेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Har Shankar
Designation : Joint Secretary
Date: 2024.09.27 17:46:27 IST
Reason: Approved